

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 131/2021

दायर दिनांक 08.07.2021

वादीगण	प्रतिवादीगण
<p>1. रणवीर सिंह पुत्र तेज सिंह उम्र 59 वर्ष जाति राजपूत निवासी खोजास तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।</p>	<p>1. महेन्द्र सिंह उर्फ महेश सिंह पुत्र नारायण सिंह उम्र 31 वर्ष 2. इचरज कंवर पत्नि नारायण सिंह उम्र 60 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी खोजास तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0। 3. पुष्पा कंवर पुत्री नारायण सिंह पत्नि रणवीर सिंह जाति राजपूत निवासी खोजास हाल आबाद धमोरा तह0 नवलगढ़ जिला झुन्झुनू। 4. शम्भू सिंह राठौड़ पुत्र भागीरथ सिंह उर्फ भंवर सिंह 5. सत्येन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह उर्फ भंवर सिंह 6. मगन कंवर पत्नि भागीरथ सिंह उर्फ भंवर सिंह 7. विमल कंवर पत्नि विरेन्द्र सिंह पुत्री भागीरथ सिंह उर्फ भंवर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खोजास तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0। 8. प्रशासन ग्राम पंचायत खोजास। 9. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।</p>

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील वादी।
2. श्री समदर सिंह वकील प्रतिवादीगण।

--: निर्णय :-


दिनांक 22.09.2021

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खसरा सं0 298/655 रकबा 1.41 हैक्टे0 किस्म बरानी प्रथम व खसरा सं0 507/657 रकबा 01.03 हैक्टे0 बरानी उत्तम, खसरा सं0 296/656 रकबा 01.40 हैक्टे0 किस्म बरानी प्रथम, खसरा सं0 507 रकबा 01.03 हैक्टे0 बरानी उत्तम कुल खसरा 04 ग्राम खोजास पटवार क्षेत्र खोजास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर में अवस्थित है जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण रिकॉर्ड एवं पैतृक संयुक्त एवं अविभाजित कब्जाकाशत खातेदार है।

यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण स्व0 सवाई सिंह के वारिश एवं उत्तराधिकारीगण है जो एक ही खानदान के वंशज है स्व0 सवाई सिंह तीन पुत्र क्रमशः डाल सिंह, जतन सिंह व तेज सिंह हुये वादी स्व0 तेज सिंह का पुत्र है स्व. डाल सिंह के दो पुत्र हुये भंवर सिंह भागीरथ सिंह व नारायण सिंह है प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 स्व0 नारायण सिंह के वारिश एवं उत्तराधिकारीगण है सुगन कंवर पत्नि डाल सिंह, सिरे कंवर पत्नि तेज सिंह का स्वर्गवास हो चुका है।

यह है कि वाद पत्र में उपरोक्त वर्णितानुसार कृषि भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझ से बहामी बंटवारा कर मौके पर




 सहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)

नीव-सीव कायम कर अपने-अपने हिस्से में काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं जो निम्न प्रकार है।

- (क) वादी के बंट में आई भूमि - खसरा सं० 298/655 रकबा 01.41 हैक्टे० सम्पूर्ण व कृषि भूमि खसरा सं० 296 रकबा 01.40 हैक्टे० में से 1.02 हैक्टे० जिसको ट्रेस नक्शा में मार्क ए से प्रदर्शित किया गया है।
- (ख) प्रतिवादी सं० 01 ता 07 के हिस्से में आई भूमि :- खसरा सं० 507 रकबा 1.03 हैक्टे० सम्पूर्ण व खसरा सं० 296/656 रकबा 01.40 हैक्टे० में से 0.38 हैक्टे० बंट में आई है उसी अनुरूप मौके पर काबिज काश्तकार ले आ रहे हैं जिनका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है जिनका बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस बंटवारा किया जाना आवश्यक हुआ है।
- (ग) प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के बंट में आई भूमि का भी बंटवारा निम्न प्रकार है- प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के बंट आई भूमि खसरा सं० 507 में से 1/2 भाग पश्चिमी तरफ का व प्रतिवादी सं० 04 ता 07 का पूर्वी तरफ का हिस्सा आया है जिसको सलंगन ट्रेस नक्शा में मार्क ए व बी से प्रदर्शित किया गया है उसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 296/656 में से हिस्से में आई भूमि रकबा 0.38 हैक्टे० का 1/2 भाग दक्षिणी तरफ का प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के बंट में आया जिसको सलंगन नक्शा में मार्क सी से प्रदर्शित किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 04 ता 07 के हिस्से में आई भूमि उत्तरी दिशा में 1/2 भाग जिसको मार्क डी से प्रदर्शित किया गया है इस प्रकार उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण ने बहाती बंटवारा कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं जिनको बंटवारा किया जाना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है- यह है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर वाद पत्र में उपरोक्त वर्णित अनुसार भूमियों का बंटवारा किया जाकर उदघोषणा की जाये तथा वादी एवं प्रतिवादीगण को पृथक-पृथक रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर जमाबन्दी पासबुक जारी किया जावे।


वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं० 01 ता 07 की तरफ से वकील श्री समदर सिंह ने राजीनामा पेश किया। जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् दावानुसार जरिये राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

पक्षकारान् दावानुसार खातेदारी चाहते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्कों पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

आदेश

अतः हस्व दावा वाकै सरहद खोजास निम्नलिखित खसरां की भूमि का बंटवारा बाईमीटर्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, राजीनामा एवं नजरीनक्शा मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:-

वादी के बंट में आयी भूमि ख0सं0 298/655 रकबा 1.41 हैक्टेयर की सम्पूर्ण भूमि व ख0सं0 298/655 रकबा 1.41 हैक्टेयर भूमि में से 1.02 हैक्टेयर जिसको नजरी नक्शा में मार्क A से प्रदर्शित किया गया है।

1. प्रतिवादी सं0 01 ता 07 के बंट व हिस्से में आयी भूमि ख0सं0 507 रकबा 1.03 हैक्टेयर सम्पूर्ण व ख0सं0 296/656 रकबा 1.40 हैक्टेयर में से 0.38 हैक्टेयर जिसको वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क A,B से प्रदर्शित किया गया है।
2. प्रतिवादी सं0 01 ता 07 के हिस्से में आयी भूमि का बंटवारा निम्नानुसार है- प्रतिवादी सं0 01 ता 03 के बंट व हिस्सा में आयी भूमि ख0सं0 507 रकबा 1.03 हैक्टेयर सम्पूर्ण में से ½ भाग पश्चिमी तरफ का, प्रतिवादी सं. 04 ता 07 के हिस्से में आयी पूर्वी तरफ का आया है। जिसको नजरी नक्शा में मार्क AB से प्रदर्शित किया गया है।
3. खसरा सं0 296/656 में से आयी भूमि 0.38 हैक्टर का ½ भाग दक्षिणी तरफ का प्रतिवादी सं. 01 ता 03 के हक व बंट में जिसको संलग्न नजरी नक्शा में मार्क C से प्रदर्शित किया गया है। प्रतिवादी सं0 04 ता 07 के हिस्से में आयी भूमि उत्तरी दिशा में ½ भाग संलग्न नजरी नक्शा में मार्क D से प्रदर्शित किया गया है।

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा, नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)

R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डी.डवाना (जागर)

गया।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को सरे इजलास में सुनाया

(कार्तिकेय मीणा)

R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डी.डवाना (जागर)

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्दा दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 131/2021

दायर दिनाँक 08.07.2021

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. रणवीर सिंह पुत्र तेज सिंह उम्र 59 वर्ष जाति राजपूत निवासी खोजास तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	1. महेन्द्र सिंह उर्फ महेश सिंह पुत्र नारायण सिंह उम्र 31 वर्ष 2. इचरज कंवर पत्नि नारायण सिंह उम्र 60 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी खोजास तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0। 3. पुष्पा कंवर पुत्री नारायण सिंह पत्नि रणवीर सिंह जाति राजपूत निवासी खोजास हाल आबाद धमोरा तह0 नवलगढ़ जिला झुन्झुनू। 4. शम्भू सिंह राठौड़ पुत्र भागीरथ सिंह उर्फ भंवर सिंह 5. सत्येन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह उर्फ भंवर सिंह 6. मगन कंवर पत्नि भागीरथ सिंह उर्फ भंवर सिंह 7. विमल कंवर पत्नि विरेन्द्र सिंह पुत्री भागीरथ सिंह उर्फ भंवर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खोजास तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0। 8. प्रशासन ग्राम पंचायत खोजास। 1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।
	बनाम्

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 22.09.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील वादी व श्री समदर सिंह वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा वाकै सरहद खोजास निम्नलिखित खसरान् की भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, राजीनामा एवं नजरीनक्शा मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:-

वादी के बंट में आयी भूमि ख0सं0 298/655 रकबा 1.41 हैक्टेयर

की सम्पूर्ण भूमि व ख0सं0 298/655 रकबा 1.41 हैक्टेयर भूमि में से 1.02 हैक्टेयर जिसको नजरी नक्शा में मार्क A से प्रदर्शित किया गया है।

1. प्रतिवादी सं0 01 ता 07 के बंट व हिस्से में आयी भूमि ख0सं0 507 रकबा 1.03 हैक्टेयर सम्पूर्ण व ख0सं0 296/656 रकबा 1.40 हैक्टेयर में से 0.38 हैक्टेयर जिसको वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क A,B से प्रदर्शित किया गया है।


2. प्रतिवादी सं0 01 ता 07 के हिस्से में आयी भूमि का बंटवारा निम्नानुसार है- प्रतिवादी सं0 01 ता 03 के बंट व हिस्सा में आयी भूमि ख0सं0 507 रकबा 1.03 हैक्टेयर सम्पूर्ण में से ½ भाग पश्चिमी तरफ का, प्रतिवादी सं. 04 ता 07 के हिस्से में आयी पूर्वी तरफ का आया है। जिसको नजरी नक्शा में मार्क AB से प्रदर्शित किया गया है।

3. खसरा सं0 296/656 में से आयी भूमि 0.38 हैक्टर का ½ भाग दक्षिणी तरफ का प्रतिवादी सं. 01 ता 03 के हक व बंट में जिसको संलग्न नजरी नक्शा में मार्क C से प्रदर्शित किया गया है। प्रतिवादी सं0 04 ता 07 के हिस्से में आयी भूमि उत्तरी दिशा में ½ भाग संलग्न नजरी नक्शा में मार्क D से प्रदर्शित किया गया है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा, नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।



सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
 खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
 बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 22.09.2021 को सरे इजलास
 में जारी की गयी।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना
 (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये
 दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना
 (नागौर)